रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2210] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2016/भाद्र 18, 1938
No. 2210] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2016

का.आ. 2909(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 465(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2002 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के 80.00 कि.मी. से 256.00 कि.मी. (म0प्र0 / उ0प्र0 सीमा–शिवपुरी–भोगनीपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, चार–लेन के निम्नलिखित खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत करने एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था:

टोल प्लाजाओं का अवस्थान	धारा	सेक्शन	का.आ.सं.	तारीख
140.400 कि.मी. (झांसी जिले में सेमरी गांव के पास)	रारा–25 का 90.00 कि.मी. से 155.00 कि.मी. तक (सिवाय 97.15 कि.मी. से 98.00 कि.मी. तक)	झांसी–पुंछ	का.आ. 2836 (अ)	19.12.2011
	रारा–25 का 90.300 कि.मी. से 157.850 कि.मी. तक (सिवाय 97.150 कि.मी. से 98.000 कि.मी. तक)	झांसी–पुंछ	का.आ. 1470 (अ) (संशोधन अधिसूचना)	21.04.2016
187.500 कि.मी. (जालौन जिले में ऐत गांव के पास)	रारा–25 का 155.00 कि.मी. से 220.00 कि.मी. तक	पुंछ–उरई	का.आ. 422 (अ)	21.02.2013
	रारा–25 का 157.850 कि.मी. से 225.713 कि.मी. तक	पुंछ–उरई	का.आ. 2524 (अ) (संशोधन अधिसूचना)	25.07.2014

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, 05.02.2013 को मैसर्स झांसी उरई टोलवे प्रा0 लि0 (रियायतग्राही) के साथ करार किया है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, इसके संशोधनों सहित, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का. आ.सं. 2836(अ), तारीख 19.12.2011 एवं का.आ.सं. 422(अ), तारीख 21.02.2013 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई है अथवा करने से लोप करा दी गई है, केन्द्रीय सरकार में अधिसूचना संख्या का.आ. 2021(अ), तारीख 05.07.2013 द्वारा रियायतग्राही को प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के 90.300 कि.मी. 225.713 कि.मी. तक के झांसी–उरई सेक्षन के विकास हेतु प्राधिकृत किया था;

और यतः, वाणिज्यिक प्रणाली की तारीख घोषित नहीं की गई थी तथा प्राधिकरण द्वारा ओएमटी रियायत करार 03.03.2014 को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए, अधिसूचना सं0 का.आ. 2021 (अ), तारीख 05.07.2013 को कार्यान्वित नहीं किया गया;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर रारा–25 (नया रारा–27) के 90.300 कि.मी. से 225.713 कि.मी. तक झांसी–उरई सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त सेक्शन' संदर्भित किया गया है) के लिए 03.02.2016 को प्राप्त हुई बोली के लिए मैसर्स प्रकाश एस्फाल्टिंग्स एंड टोल हाइवेज (इंडिया) लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, 76 माल रोड, मऊ जिला इन्दौर, म0प्र0 433451 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' संदर्भित किया गया है) के साथ 28.07.2016 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त करार' संदर्भित किया गया है);

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिन्हें सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिन्हें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2014 एवं सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 2836 (अ), तारीख 19.12.2011, का.आ. 1470(अ), तारीख 21.04.2014, का.आ. 422(अ), तारीख 21.02.2013, का.आ. 2524(अ), तारीख 25.07.2016 और का.आ. 2021(अ), 05.07.2013 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हों अथवा करने से लोप करा दी गई हों, केन्द्रीय सरकार, उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर सड़क की निवल लम्बाई 74.236 कि.मी. और 0.4816 कि.मी. की संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है), जिसकी समकक्ष लम्बाई 4.816 कि.मी. है, के उक्त चार लेन के खण्ड के उपयोग हेतु स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और दस करोड़ रुपए अथवा अधिक की लागत वाले बाइपास की 60.695 कि.मी. लम्बाई (जिसमें 850 मीटर की अपूर्ण लम्बाई भी शामिल है) के लिए आधार दर के डेढ़ गुना की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकांशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन की श्रेणी	**आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भं.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) की विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई के लिए ऊपर सारणी 1 में विनिर्दिष्ट आधार दरों के 100% पर शोध्य और संदेय होगा।

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	टोलयोग्य सेक्शन	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
1	रारा–25 (नया रारा–27) का 140.400 कि.मी. (झांसी जिले में सेमरी गांव के पास)	90.300 कि.मी. से 157.850 कि.मी. तक	36.357 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं और बाइपासों को छोड़कर)
2	रारा–25 (नया रारा–27) का 187.500 कि.मी. (झांसी जिले में ऐत गांव के पास)	157.850 कि.मी. से 225.713 कि.मी. तक	37.879 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं और बाइपासों को छोड़कर)
		योग	**74.236**

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु ऊपर सारणी 1 में दिए गए आधार दरों के 150% की दर पर निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	डिजाइन चैनेज		बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
		निम्नलिखित से प्रारंभ करके	निम्नलिखित पर मिलते हुए	
रारा–25 (नया रारा–27) का 140.400 कि.मी. (झांसी जिले में सेमरी गांव के पास)	झांसी	90.300	106.175	15.486* (97.150 कि.मी. से 98.000 कि.मी. तक 850 मीटर अपूर्ण लम्बाई सहित) (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)
	चिरगांव	127.970	134.395	6.425
	सेमरी	140.857	143.050	2.193
	मोथ	151.150	157.850	6.700
रारा–25 (नया रारा–27) का 187.500 कि.मी. (जालौन जिले में ऐत गांव के पास)	पुंछ	166.055	170.865	4.810
	ऐत	188.075	192.299	4.224
	सोमई	194.075	196.375	2.300
	गिराथन	198.899	200.999	2.100
	उरई	208.199	224.749	16.457 (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)
			योग	**60.695**

* 850 मीटर की अपूर्ण लम्बाई पूरी होने पर तथा रियायतग्राही को सौंपने के बाद यह साइट का हिस्सा बन जाएगी और ऐसे खण्ड के पूरा होने के बाद एवं रियायतग्राही को सौपने पर यह शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए उपलब्ध होगी।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)
1	रारा–25 (नया रारा–27) का 140.400 कि.मी. (झांसी जिले में सेमरी गांव के पास)	0.3886*	3.886
2	रारा–25 (नया रारा–27) का 187.500 कि.मी. (जालौन जिले में ऐत गांव के पास)	0.0930**	0.930
	योग	**0.4816**	**4.816**

* संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

क्रम संख्या	**संरचना का स्वरूप**	**अवस्थान**	**सामान्य लम्बाई (कि. मी. में)**
i.	चैनेज पर बड़ा पुल (झांसी बाइपास पर)	92.230 कि.मी.	0.1200
ii.	चैनेज पर आरओबी (झांसी बाइपास पर)	96.320 कि.मी.	0.1491
iii.	चैनेज पर आरओबी (झांसी बाइपास पर)	101.458 कि.मी.	0.1195
		योग	**0.3886**

** संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

क्रम संख्या	**संरचना का स्वरूप**	**अवस्थान**	**सामान्य लम्बाई (कि. मी. में)**
i.	आरओबी (उरई बाइपास पर)	223.585 कि.मी.	0.0930
		योग	**0.0930**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016–17 के लिए मासिक पास की दर 235.00/– रुपए (दो सौ पैंतीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्‌:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	50 (पचास) या अधिक	संदाय की समय से एक मास

6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. ऐसा यांत्रिक वाहन जिस पर नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन उस श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदा हुआ हो उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा को तब तक पार करने की अनुमति नहीं होगी जब तक उस यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाता। इस प्रकार, अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे हुए वाहन को प्रवेश करवाने के लिए नियम 4 के उप–नियम (2) के अन्तर्गत उस श्रेणी के यांत्रिक वाहन के लिए लागू दर से दस गुना शुल्क टोल संग्रहण एजेंसी को अदा करना होगा।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10.. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दरों की आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से कम–से–कम अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के एक–एक समाचार पत्र में प्रकाषित किया जाएगा और इसके बाद उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा और प्रकाषित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि ऐसा संषोधन शुल्क के पूर्ववर्ती संषोधन की तारीख से 6 (छह) महीने के अन्दर नहीं किया जाएगा।

11. वाणिज्यिक प्रचालन की (संभावित) तारीख (10.09.2016) से परियोजना की वसूल की जाने वाली पूंजी लागत 910.62 करोड़ रुपए (नौ सौ दस करोड़ बासठ लाख रुपए मात्र) है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से टोल का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार लागू दरों पर तथा बोली की नियत तारीख तक उसमें किए गए संशोधन तक किया जाएगा। जिस दिन पूंजीगत लागत की वसूली हो जाएगी उस दिन के पश्चात् लिए जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा। यदि किसी कारण से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को 90 दिन तक पहले कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है तो वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इसके बारे में इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख के बाद 30 दिनों के अंदर रियायतग्राही को सूचित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/सीओ/16–17/जीसी–झांसी उरई (ओएमटी)]
दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2016

S.O. 2909(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 465(E) dated 24th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 80.00 to km 256.00 (MP/UP Border - Shivpuri – Bhognipur Section of National Highway No. 25 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of powers conferred by section 7 of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of National Highway Fee (Determination of Rules and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of following four-laned stretches:

Location of Toll plazas	Stretch	Section	S.O. No.	Dated
Km 140.400 (near Semri village in Jhansi district)	Km 90.00 to km 155.00 (except km 97.15 to km 98.00) of NH-25	Jhansi -Poonch	S.O. 2836(E)	19.12.2011
	Km 90.300 to km 157.850 (except km 97.150 to km 98.000) of NH-25	Jhansi -Poonch	S.O. 1470(E) (Amendment Notification)	21.04.2016
Km 187.500 (near AIT village in Jalaun district)	Km 155.00 to km 220.00 of NH-25	Poonch - Orai	S.O. 422(E)	21.02.2013
	Km 157.850 to km 225.713 of NH-25	Poonch - Orai	S.O. 2524(E) (Amendment Notification)	25.07.2016

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority entered into an agreement with M/s. Jhansi Orai Tollway Pvt. Ltd. (the Concessionaire) on 05.02.2013 and in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 & its amendment and in supersession of the notification number S.O. No. 2836(E), dated 19.12.2011 & S.O. No. 422(E) dated 21.02.2013 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, vide notification No. S.O. 2021 (E) dated 05.07.2013, authorized the Concessionaire for development of Jhansi Orai section from Km 90.300 to Km 225.713 of NH-25 in the state of Uttar Pradesh on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis;

And whereas, the Commercial Operation Date was not declared and OMT Concession Agreement has been terminated on 03.03.2014 by the Authority and therefore, the notification No. S.O. 2021(E), dated 05.07.2013 was not implemented;

And whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement (hereinafter referred to as the “said agreement”) on

28.07.2016 with M/s. Prakash Asphaltings and Toll Highways (India) Limited, having its registered office at 76, Mall Road, Mhow, District Indore, Madhya Pradesh, 433441 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid received on 03.02.2016, for the Operation and Maintenance of the Jhansi Orai section from Km 90.300 to Km 225.713 of NH-25 (New NH-27) (hereinafter referred to as the "said section") on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014 and G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014, GSR 02(E) dated 29th December, 2014 and G.S.R. 220(E) dated 23rd March, 2015 (hereinafter referred to as the "said Rules") and in supersession of the notification number S.O. No. 2836(E) dated 19.12.2011, S.O. No. 1470(E) dated 21.04.2016, S.O. No. 422(E) dated 21.02.2013, S.O. No. 2524 dated 25.07.2016 & S.O. 2021 (E) dated 05.07.2013 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of the said national highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said four lane section on the Type of Vehicles specified in column (1) at the rate specified in columns (2) (hereinafter referred to as "base rate") of Table 1 below for net road length of 74.236 km & 0.4816 km of structure (having more than 60 m length) with equivalent length of 4.816 km and at one and one half times the base rate for 60.695 km (Inclusive of incomplete length of 850m) length of bypass costing Rupees Ten crore or more and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the said agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08(in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza(s) at 100% of the base rates specified in Table 1 above, for the net road length specified for such Toll Plaza(s):

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Tollable section	Length (in km) for which Fee is payable
1	Km 140.400 (near Semri village in Jhansi district) of NH-25 (New NH-27)	Km 90.300 to km 157.850	36.357 (Excluding length of structures >60m & Bypasses)
2	Km 187.500 (near AIT village in Jalaun district) of NH-25 (New NH-27)	Km 157.850 to km 225.713	37.879 (Excluding length of structures >60m & Bypasses)
	Total		**74.236**

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza(s) at 150% of the base rates in Table 1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name of Bypass	Design Chainages		Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
		Taking off at	Merging at	
Km 140.400 (near Semri village in Jhansi district) of NH-25 (New NH-27)	Jhansi	90.300	106.175	15.486* (Inclusive of incomplete length of 850m from km 97.150 to km 98.000) (Excluding length of structures >60m)
	Chirgaon	127.970	134.395	6.425
	Semri	140.857	143.050	2.193
	Moth	151.150	157.850	6.700
Km 187.500 (near AIT village in Jalaun district) of NH-25 (New NH-27)	Poonch	166.055	170.865	4.810
	Ait	188.075	192.299	4.224
	Somai	194.075	196.375	2.300
	Girathan	198.899	200.999	2.100
	Orai	208.199	224.749	16.457 (Excluding length of structures >60m)
			Total	**60.695**

* Incomplete length of 850m will become part of site after its handing over to the Concessionaire on completion and shall be available for levying and collecting fee after completion of such stretch and handing over to Concessionaire.

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

S.No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)
1	Km 140.400 (near Semri village in Jhansi district) NH-25 (New NH-27)	0.3886*	3.886
2	Km 187.500 (near AIT village in Jalaun district) NH-25 (New NH-27)	0.0930**	0.930
	Total	**0.4816**	**4.816**

*The details of structures (> 60 m length) are as under:

S. No.	Nature of Structure	Location	Normal length (in km)
i.	Major Bridge at chainage (on Jhansi bypass)	km 92.230	0.1200
ii.	ROB at chainage (on Jhansi bypass)	km 96.320	0.1491
iii.	ROB at chainage (on Jhansi bypass)	km 101.458	0.1195
		Total	**0.3886**

**The details of structures (> 60 m length) are as under:

S. No.	Nature of Structure	Location	Normal length (in km)
i.	ROB (on Orai bypass)	km 223.585	0.0930
		Total	**0.0930**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred and Thirty Five

only) for the year 2016-17, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee(Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	50 (Fifty) or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of Rule 4.

8. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

11. The present value of Capital Cost of the project to be recovered from the (probable) date of COD (10.09.2016) is Rs. 910.62 Crore (Rupees Nine Hundred and Ten Crore and Sixty Two lakh). From the Commercial Operation Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E), dated 5th December, 2008 and further amendments till bid due date. After the day on which the Capital Cost is recovered, the user fee chargeable shall be reduced to 40% of the rates being charged. In case, due to any reason, COD is advanced/ postponed upto 90 days, the Capital cost to be recovered shall be reworked and intimated to the Concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/ Independent Engineers.

[F. No. NHAI/CO/16-17/GC-Jhansi Orai (OMT)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.15 12:00:52 +05'30'